माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के बढ़ते शिक्षण शुल्क का विद्यार्थियों के अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

शोधकर्ता –

नाम – श्रीमती रश्मि रजक
एम. एड. (प्रशिक्षार्थी)
प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
पता – सुभाष वार्ड, कांकेर (छ.ग.)

शोध निर्देशक –

नाम – श्रीमती उपासना श्रीवास्तव
सहायक प्राध्यापिका (शिक्षा संकाय)
प्रगति महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सार

प्रस्तुत शोध पत्र माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के बढ़ते शिक्षण शुल्क का विद्यार्थियों के अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन विषय पर किया गया है, प्रस्तुत अध्ययन में कांकेर जिले के श्री रामनगर का चयन किया गया जिसमें कांकेर के 4 अशासकीय स्कूलों में से 120 विद्यार्थियों को न्यादर्श रखकर निम्न शोध प्रश्नों का का विश्लेषण कर परिणाम ज्ञात किया गया है बढ़ते शिक्षण शुल्क से परिवार की आय–व्यय पर काफी फर्क पड़ता है। बढ़ते शिक्षण शुल्क से अधिकांश परिवार अपने बच्चों का विद्यालय परिवर्तन करा लेते हैं क्योंकि वे उनका फीस समय पर नहीं दे पा रहे होते हैं। बढ़ते शिक्षण शुल्क से अभिभावकों पर स्कूलों में दाखिला के समय अपने बजट पर ध्यान देने के साथ–साथ उनके फीस का उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। बढ़ते शिक्षण शुल्क से बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका अहसास नहीं होता है शिक्षण शुल्क क्या होता है, जब वह माध्यमिक स्तर तक आता है तब तक उनको शिक्षण शुल्क के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है इससे उनके शैक्षिक उपलब्धि पर काफी प्रभाव पड़ता है।

की वर्ड :– शिक्षण शुल्क, अध्ययन पर प्रभाव, माध्यमिक स्तर, शैक्षिक उपलब्धि

1. भूमिका

शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इसके द्वारा वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बन कर समाज की सर्वांगीण उन्नति में आपनी शक्ति का उत्तरोतर प्रयोग करने की

भावना से ओत–प्रोत हेार संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुर्नस्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है।

महात्मा गाँधी ने कहा था कि किसी भी जनतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर है कि नागरिक कहाँ तक शिक्षित हैं। आज भारत एक लोकतंत्रवादी देश है। अतः समस्त नागरिकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की आवश्यकता है। गाँधी जी कहा करते थे कि जिस तरह पानी और हवा पर सबका अधिकार है, उसी तरह शिक्षा सबके लिये सुलभ होनी चाहिए भारत जैसे निर्धन देश में बहुत से अभिभावक है जो अपने लड़के–लडकियों का शिक्षा के लिये पैसा नहीं जुटा सकते। अतः शिक्षा अनिवार्य तभी हो सकती है जब वह निःशुल्क हो।

महान शिक्षाविदों की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा ही मानव विकास की आधारशिला होती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति को अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देती है। वरन् उसके व्यवहार में ऐसे वांछनीय परिवर्तन भी करती है। कि वह अपना और अपने समाज का कल्याण करने में सफल होता है।

6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा का उपबंध करने के लिये अधिनियम भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में अधिनियमित हुआ इसका संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है।

शिक्षण शुल्क

शिक्षण शुल्क, जिसे ट्यूशन फीस (tuition fee) भी कहा जाता है, एक शैक्षणिक संस्थान, जैसे कि स्कूल या विश्वविद्यालय, में छात्रों द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क को संदर्भित करता है। यह शुल्क पाठ्यक्रम में उपस्थित होने और संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के लिए होता है। यह शुल्क विभिन्न लागतों, जैसे कि शिक्षकों का वेतन, बुनियादी ढांचे का रखरखाव और स्कूल का संचालन, को पूरा करने में मदद करता है।

आज शिक्षा का व्यवसायिकरण हो गया है, चूँकी राज्य सरकार के द्वारा संचालित सभी विद्यालय निःशुल्क होते हैं पर यहीं पर निजी विद्यालय छात्रों और उनके अभिभावकों से बहुत ज्यादा शुल्क लेते हैं। आज हर कोई अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहता है इसके लिए वे बहुत भारी फीस निजी स्कूलों को देने को मजबूर हैं। कोई अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि वहां कि व्यवस्था से भली–भांति परिचित है कैसी लचर व्यवस्था हैं वहां इसलिए अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं।

बढ़ते शिक्षा शुल्क का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित होना पड़ता है और शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता भी बढ़ती है। यह आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए शिक्षा तक पहुँच को सीमित करता है और शिक्षा प्रणाली को कम समावेशी बनाता है।

उद्देश्य: शिक्षण शुल्क का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थान के कामकाज को बनाए रखने में मदद करना है, जिसमें शिक्षकों का वेतन, बुनियादी ढांचे का रखरखाव, स्कूल का संचालन और अन्य आवश्यक खर्च शामिल हैं.

2. अध्ययन का महत्व

सूचना व संचार के इस युग में जहाँ इंसान दूसरे ग्रहों पर जीवन यापन की सोच रहा है वह आम आदमी का अशिक्षित रहना विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इससे व्यक्ति के विकास पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु राष्ट्र के विकास का मार्ग भी अवरूद्ध होता है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। और यही बच्चे प्राथमिक शिक्षा तक ग्रहण नहीं कर पाये तो लोकतंत्र का निर्माण कैसे होगा, और देश का भविष्य कैसे बनायेगें।

शोधकर्त्ता ने समस्या का चयन करते हुये इस बात का ध्यान रखा की असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर पिछड़ा हुआ है।

विश्व स्तर पर आज हमारा देश हर तरह से संपन्न और प्रगतिशील माना जाता है। आज देश ने आकाश से बढ़कर ब्रह्मंड को छूने में कामयाबी हासिल की है लेकिन इस पूरे प्रगतिशील दौर में आज भी देश में शिक्षा का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। भले ही हमारे पास हर एक किलोमिटर पर पाठशालाऐं मौजूद हो लेकिन शिक्षा का स्तर लगातार गिरते जा रहा है। देश में मुफ्त शिक्षा बिल भले ही पास हो गया हो लेकिन आधार भूत अधिकार अभी भी कागज पर ही है।

अतः अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत् छात्रों के शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक स्तर का अध्ययन करना आवश्यक है। जिनके द्वारा इन समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन कर उन कारणों का पाता लगाया जा सके जिससे इनके अध्ययन में बाधा आ रही है। शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अतः उक्त बाते अध्ययन की आवश्यकता है।

3. संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन

मेबल, नमारा और रोजर, काटो और यूनिवर्सिटी रिसर्च रिपोजिटरी एक्सटेंशन, मेट्रोपॉलिटन (2024) प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर स्कूल फीस का प्रभाव, बुगाकी उप–काउंटी क्येनजोजो जिले में क्यकातारा प्राथमिक विद्यालय का एक केस स्टडी पर अध्ययन किया इनका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उत्कृष्टता पर स्कूल फीस के प्रभाव की जांच करना था और अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर स्कूल फीस के प्रभावों की जांच करना, प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल फीस के भुगतान में चूक के कारणों का आकलन करना और प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल फीस भुगतान में सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का प्रस्ताव करना था। शोधकर्ता ने एक क्रॉस–सेक्शनल सर्वेक्षण डिजाइन का उपयोग किया। अध्ययन जनसंख्या में क्यकातारा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी और माता–पिता शामिल थे। अध्ययन में भाग लेने के लिए 80 उत्तरदाताओं का एक नमूना आकार चुना गया था, उत्तरदाताओं की विशिष्ट श्रेणियों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण और यादृच्छिक नमूनाकरण दोनों तकनीकों को लागू किया गया था। डेटा संग्रह विधियों में प्रश्नावली और साक्षात्कार मार्गदर्शिकाएँ शामिल थीं। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तकनीकों का उपयोग किया गया था। निष्कर्षों के आधार पर, अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर स्कूल फीस न चुकाने के प्रभावों का पता चला, जिसके कारण विद्यार्थियों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति कम होती है, विद्यार्थियों और शिक्षकों का स्कूल में उत्साह कम होता है, सेवा वितरण खराब होता है, स्कूल की शैक्षणिक सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होती है और विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति कम ध्यान केंद्रित होता है। अध्ययन ने आगे निष्कर्ष निकाला कि स्कूल फीस न चुकाने के कारणों में परिवारों में गरीबी, स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल फीस में वृद्धि, अंतिम परीक्षाओं में स्कूल का खराब प्रदर्शन, परिवारों में अकाल, अभिभावकों और स्कूल प्रशासकों के बीच संबंधों की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। अध्ययन ने स्कूल फीस भुगतान में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में भी निष्कर्ष निकाला, कि विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन और नाश्ता जैसी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पैक करना चाहिए, किश्तों में स्कूल फीस का भुगतान करना चाहिए, माता–पिता ६ अभिभावकों को स्कूल फीस ऋण लेना चाहिए, स्कूल को दान प्राप्त करना चाहिए, स्कूल को छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए और अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच संबंधों को बढ़ाना चाहिए। निष्कर्षों से निम्नलिखित सिफारिशें सुझाई गईं, जैसे शिक्षा और खेल मंत्रालय से धनराशि जुटाना, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच संबंध स्थापित करना, स्कूल के बजट में अभिभावकों को शामिल करना, संसाधन जुटाने के कौशल में प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करना तथा विद्यार्थियों की सामाजिक–आर्थिक

स्थिति, प्रवेश की गुणवत्ता और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर शिक्षण सामग्री, शैक्षिक सुविधाओं के प्रभाव पर अधिक शोध करना।

गुरुपंच, कुबेर सिंह (2023) ने ''भारतीय शिक्षा प्रणालीदृभूत, वर्तमान एवं भविष्य के सन्दर्भ में'' विषय पर अध्ययन किया और पाया कि प्रस्तुत अध्ययन भारतीय शिक्षा प्रणालीदृभूत, वर्तमान एवं भविष्य के सन्दर्भ में है यह द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है इस अध्ययन में भारती शिक्षा प्रणाली के विभिन्न आयोगों के रिपोर्ट के आधार पर भूत, वर्तमान एवं भविष्य के बारे में विश्लेषण किया गया है। पहले की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी लोग गुरुकुलों में जाकर अध्ययन करते थे वर्तमान में नयी शिक्षा प्रणाली में कौशल आधारित एवं रोजगार परख शिक्षा प्रणाली है एवं भविष्य में रोबोट एवं डिजिटल एवं मुख्य एवं ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली संचालित होगी।

राल्फ माइनर (2023) ''ट्यूशन फीस ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन को कैसे प्रभावित कियाः एक जर्मन अर्ध–प्रयोग के परिणाम'' यह अध्ययन 2006 और 2014 के बीच कई जर्मन संघीय राज्यों में प्रथम वर्ष के छात्र नामांकन की संख्या पर ट्यूशन फीस वसूलने के प्रभाव की जांच करता है। चूंकि जर्मनी सार्वजनिक संस्थानों में ट्यूशन–मुक्त शिक्षा नीति के लिए जाना जाता है, इसलिए मौलिक प्रश्न यह उठता है कि क्या, और यदि हां, तो किस हद तक, अस्थायी ट्यूशन ने प्रथम वर्ष के छात्र नामांकन की संख्या को प्रभावित किया। इस संबंध में, बेकर के मानव पूंजी सिद्धांत का सुझाव है कि बढ़ती फीस को नामांकन दरों में गिरावट के साथ जोड़ा जाना चाहिए। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए विश्लेषण 2003 से 2018 तक 206 विश्वविद्यालयों और अनुप्रयुक्त विज्ञान के विश्वविद्यालयों के लिए एक अनुदैर्ध्य प्रशासनिक पैनल डेटा सेट पर आधारित हैंय इसका मतलब है कि ट्यूशन उपचार से पहले, उसके दौरान और बाद में 3296 अवलोकन हैं। जबकि किसी भी पिछले अध्ययन ने नीति की पूरी अवधि को कवर नहीं किया है या अधिक समग्र–स्तरीय विश्लेषण नहीं किया है, यह अध्ययन एक विश्लेषणात्मक शोध डिजाइन लागू करता है जो अर्ध–प्रयोगात्मक सेटिंग के आधार पर कारण संबंधों की जांच करने के लिए कई पैनल–डेटा मॉडल और मजबूती जांच का उपयोग करता है। फिक्स्ड इफेक्ट रिग्रेशन के परिणाम परिकल्पित नकारात्मक प्रभाव की पुष्टि करते हैं और यहां तक कि उपचार के लगातार नकारात्मक प्रभाव को भी प्रकट करते हैं। ट्यूशन फीस के साथ और बिना ट्यूशन फीस वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की तुलना से पता चलता है कि पूर्व संस्थानों ने औसतन अपने प्रथम वर्ष के छात्र नामांकन का लगभग 3.8 से 7 प्रतिशत खो दिया।

5. समस्या का कथन

माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के बढ़ते शिक्षण शुल्क का विद्यार्थियों के अध्ययन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

6. प्रकार्यात्मक परिभाषा

शिक्षण शुल्क : शिक्षा पर लगने वाली राशि को शिक्षण शुल्क कहा जाता है जो विद्यार्थिओं को शिक्षा प्राप्त करने तक सभी कक्षाओं में लगती है। यह विधि एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिये नियंत्रित अनुसंधान विधियों व अध्ययन विषयों पर निर्भर करती है।

माध्यमिक स्तर : शैक्षिक संरचना में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह उच्च शिक्षा के लिये छात्रों को तैयार करता है माध्यमिक स्तर में कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वीं तक की शिक्षा दी जाती है।

प्रभावशीलता : प्रभावशीलता वांछित परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता है जब कोई कार्य प्रभावी माना जाता है तो उसे प्रभावशील कहते है।

विद्यार्थी: विद्यार्थी वह व्यक्ति होता है जो कुछ सीख रहा होता है विद्यार्थी दो शब्दों से बना होता है, विद्या अर्थी जिसमे विद्या का अर्थ होता है ज्ञान एवं अर्थी का अर्थ है ग्रहण करने वाला, ज्ञान को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होता है जो किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है।

7. अध्ययन का उद्देश्य

शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय व्यय में प्रभाव का अध्ययन करना।

8. अध्ययन के शोध प्रश्न

क्या शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय व्ययक में प्रभाव पाया जाएगा ?

9. अध्ययन की परिसीमा

लघु शोध की दृष्टि से निम्न परिसीमन बनाई गई है–

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु कांकेर जिले का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में जिले के श्री रामनगर का चयन किया गया जिसमें कांकेर के 4 अशासकीय स्कूलों को लिया गया है।
3. जिसमें माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का चयन किया गया है जिसमें 60 छात्र व 60 छात्राओं को लिया गया है।

10. शोध प्रविधि

प्रस्तुत लघु शोध हेतु उद्देश्यों की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

11. जनसंख्या

इस प्रकार जनसंख्या इकाइयों के समुचे समुह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट जनसंख्या कहते हैं। उदाहरण– रक्त परीक्षण शरीर का संपूर्ण रक्त जनसंख्या है। शोधकर्ता को उपने समस्या के उद्देश्य को पूर्ण करने कि लिए जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक है। जनसंख्या हेतू कांकेर जिले के अंतर्गत श्री रामपुर क्षेत्र के 4 निजी विद्यालयों का चयन किया गया है। जिसमें जनसंख्या के लिए माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

12. न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति के आधार पर उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श का चयन किया गया है।

सारणी कमांक 1

न्यादर्श सारणी

कमांक	विद्यालय का नाम	छात्र	छात्रा	कुल
1	सेंट माइकल्स स्कूल, गोविन्दपुर, कांकेर	15	15	30
2	पैराडाइज हा. से. स्कूल, कांकेर	15	15	30
3	जुपिटर वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, महुरबंद पररा, कांकेर	15	15	30
4	जे. एस. इंटरनेशनल स्कूल, सरंगपाल, कांकेर	15	15	30

कुल	60	60	120

13 चर

स्वतंत्र चर :– इस शोध अध्ययन में ''शिक्षण शुल्क'' स्वतंत्र चर है।

आश्रित चर :– इस शोध अध्ययन में ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी'' आश्रित चर हैं।

14. उपकरण

प्रस्तुत लघुशोध अध्ययन हेतु अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के ''बढ़ते शिक्षण शुल्क का विद्यार्थियों के अध्ययन पर प्रभाव'' के अध्ययन के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध का उपकरण शोधकर्ता, गाइड एवं विषय विशेषज्ञों से मिलकर उनकी सलाह एवं सुझाव के आधार पर 40 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की गई विषय विशेषज्ञ कुछ कथन शब्दावली की त्रुटियों के द्वारा कुछ प्रश्न निरर्थक होने के कारण हटा दिये। अंतिम रूप में 22 प्रश्नों वाली प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

15. सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रयुक्त शोध कार्य में सांख्यिकी अभिप्रयोग के अन्तर्गत काई वर्ग परीक्षण (X^2-test) का प्रयोग किया गया है।

सूत्र :– $X^2 = \Sigma \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$

यहां –

x^2 = काई वर्ग परीक्षण

Σ = योग

f_o = प्रेक्षित आवृत्तियां

f_e = प्रत्याशित आवृत्ति

16 शोध प्रश्नों का प्रमापीकरण एवं परिणाम

शोध प्रश्न क्रमांक – 1

(1) क्या शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय–व्यय में प्रभाव पाया जाएगा ?

सारणी क्रमांक 4.1

शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय–व्यय में प्रभाव संबंधी सहमत, तटस्थ, असहमति, कुल संख्या एवं कार्य वर्ग दर्शाने वाली सारणी

प्रश्न क्रं.	सहमत	तटस्थ	असहमत	N	X^2	सार्थक / सार्थक नहीं
1	75	11	34	120	52.55	.01 स्तर पर सार्थक
2	100	9	11	120	135.05	01 स्तर पर सार्थक
3	81	14	25	120	64.55	01 स्तर पर सार्थक
4	73	19	28	120	41.85	01 स्तर पर सार्थक
5	56	18	46	120	19.4	01 स्तर पर सार्थक
6	98	7	15	120	126.95	01 स्तर पर सार्थक

ग्रॉफ क्रमांक 4.1

शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय–व्यय में प्रभाव संबंधी सहमत, तटस्थ, असहमति, कुल संख्या एवं कार्य वर्ग दर्शाने वाला ग्रॉफ

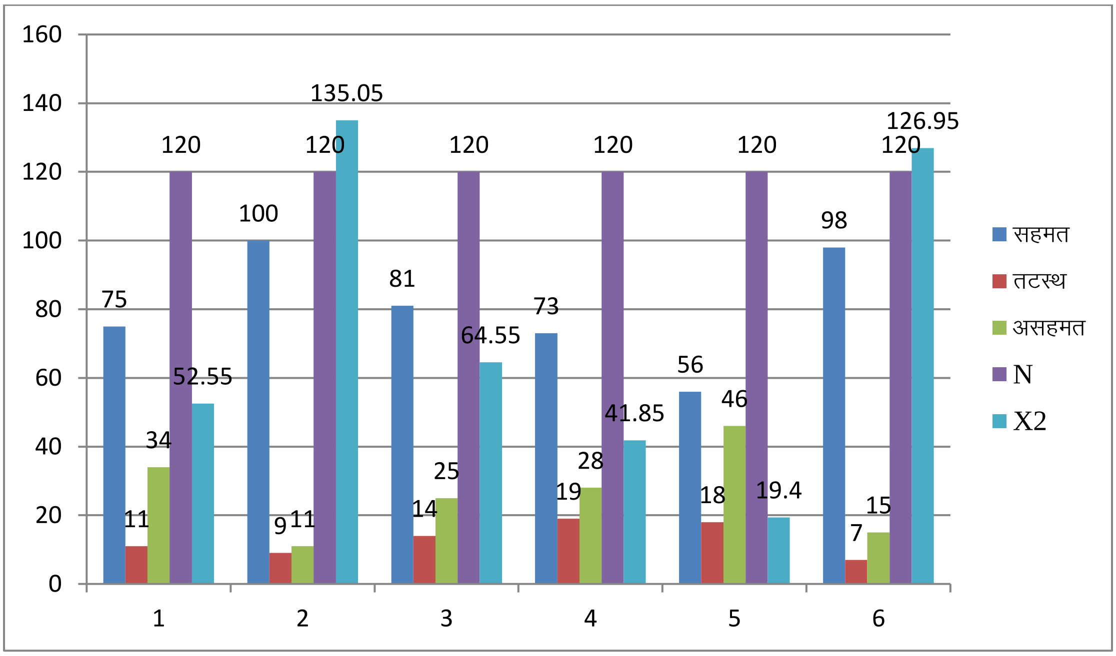

शोध प्रश्नों की व्याख्या :–

उपप्रश्न क्रमांक 1 क्या आपके परिवार के मुखिया के कार्य करने से बच्चों की पढ़ाई का खर्च चल जाता है ?

व्याख्या :–

इस प्रश्न हेतु 120 विद्यार्थियों का अभिमत लिया गया। जिसमें 75 विद्यार्थियों ने अपनी सहमति तथा 11 विद्यार्थियों ने तटस्थता व 34 विद्यार्थियों ने असहमति प्रकट की है। 2df के लिए .05 स्तर पर काई वर्ग का टेबल मूल्य 5.99 तथा .01 स्तर पर काई वर्ग का टेबल मूल्य 9.21 होता है। यदि काई वर्ग का गणना मूल्य टेबल मूल्य से अधिक हो तो अन्तर सार्थक होता है। विद्यार्थियों के सहमति, असहमति तथा तटस्थता में अन्तर की सार्थकता के लिए काई वर्ग की गणना की गई जो 52.55 प्राप्त हुआ है, जो सार्थक है।

उपप्रश्न क्रमांक 2 परिवार का मासिक आय से आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से चल जाता है।

व्याख्या :– प्रश्न 2 के अभिमत से 100 प्रशिक्षार्थियों की सहमति तथा 9 प्रशिक्षार्थी तटस्थ तथा 11 प्रशिक्षार्थी असहमत थे। सहमति, तटस्थता, तथा असहमति में अंतर की सार्थकता के लिए X^2 की गणना की गई जिसका मान 135.05 प्राप्त हुआ जो सार्थक है।

उपप्रश्न क्रमांक 3 क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार को किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ या सहायता मिलती है?

व्याख्या :– प्रश्न 3 के अभिमत से 81 प्रशिक्षार्थियों की सहमति तथा 14 प्रशिक्षार्थी तटस्थ तथा 25 प्रशिक्षार्थी असहमत थे। सहमति, तटस्थता, तथा असहमति में अंतर की सार्थकता के लिए X^2 की गणना की गई जिसका मान 64.55 प्राप्त हुआ जो सार्थक है।

उपप्रश्न क्रमांक 4 क्या परिवार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर व्यय पर होता है?

व्याख्या :– प्रश्न 4 के अभिमत से 73 प्रशिक्षार्थियों की सहमति तथा 19 प्रशिक्षार्थी तटस्थ तथा 28 प्रशिक्षार्थी असहमत थे। सहमति, तटस्थता, तथा असहमति में अंतर की सार्थकता के लिए X^2 की गणना की गई जिसका मान 41.85 प्राप्त हुआ जो सार्थक है।

उपप्रश्न क्रमांक 5. क्या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने पर परिवार की कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय बचत या निवेश है?

व्याख्या :– प्रश्न 5 के अभिमत से 56 प्रशिक्षार्थियों की सहमति तथा 18 प्रशिक्षार्थी तटस्थ तथा 46 प्रशिक्षार्थी असहमत थे। सहमति, तटस्थता, तथा असहमति में अंतर की सार्थकता के लिए X^2 की गणना की गई जिसका मान 19.4 प्राप्त हुआ जो सार्थक है।

उपप्रश्न क्रमांक 6. क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए परिवार को किसी भी प्रकार का ऋण या कर्ज लिया लेना पड़ता है?

व्याख्या :– प्रश्न 6 के अभिमत से 98 प्रशिक्षार्थियों की सहमति तथा 7 प्रशिक्षार्थी तटस्थ तथा 15 प्रशिक्षार्थी असहमत थे। सहमति, तटस्थता, तथा असहमति में अंतर की सार्थकता के लिए X^2 की गणना की गई जिसका मान 126.95 प्राप्त हुआ जो सार्थक है।

निष्कर्ष :–

शोध प्रश्न 1 के लिए कुल 6 उपप्रश्नों का निर्माण किया गया जिसमें से सभी 6 प्रश्नों में .01 स्तर पर सार्थक अंतर पाया गया जिससे हमारे शोध प्रश्न **क्या शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय–व्यय में प्रभाव पाया जाएगा ?** सिद्ध होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि बढ़ते शिक्षण शुल्क से परिवार की आय–व्यय पर काफी फर्क पड़ता है।

17. निष्कर्ष

शोध प्रश्न क्रमांक – 1 क्या शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियोंके परिवारों के आय–व्यय में प्रभाव पाया जाएगा ?

निष्कर्ष :– शोध प्रश्न 1 के लिए कुल 6 उपप्रश्नों का निर्माण किया गया जिसमें से सभी 6 प्रश्नों में .01 स्तर पर सार्थक अंतर पाया गया जिससे हमारे शोध प्रश्न **क्या शिक्षण शुल्क में वृद्धि से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के परिवारों के आय–व्यय में प्रभाव पाया जाएगा ?** सिद्ध होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि बढ़ते शिक्षण शुल्क से परिवार की आय–व्यय पर काफी फर्क पड़ता है।

18. सुझाव

1. समस्त प्रकार के विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश व शिक्षा हेतु एक सी नीति अपनायी जाये।
2. शिक्षण संस्थाओं प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर फीस नियामक समीति के विकास पर जोर दिया जाए।
3. छात्र–छात्राओं दोनों के लिए समान शिक्षा अपनायी जाये।

4. शिक्षण नीति में आधारभूत भौतिक सुविधाओं की अपर्याप्तता को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

19. अनुकरणीय अध्ययन

1. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों में शिक्षण शुलक का तुलनात्मक अध्ययन।
2. शहरी व ग्राीमण उ. मा. विद्यालय के शालाओं में शिक्षण शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन।
3. शहरी व ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के शालाओं में शिक्षण शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन।
4. शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क का तुलनात्मक अध्ययन।
5. शिक्षण शुलक से प्रभावित अभिभावकों का अध्ययन।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा रामेश्वर प्रसाद (1996), वैयक्तिक अध्यापन कितना औचित्य कोलम शिक्षा एवं संस्कृति'' (लेख) राजस्थान पत्रिका।
2. शर्मा, आर.ए (2006)., शिक्षा अनुसंधान आर.लाल बुक डिपो मेरठ।
3. बायरा, दिलीप कुमार (1996) ,''ट्यूशन जॉच दल ने कुछ दलो ं का निरीक्षण किया, शिक्षक संगठनो को आपत्ति''
4. बेस्ट जॉन डब्लू– ''रिसर्च इन एजुकेशन'' पृष्ठ संख्या 125 186
5. कपिलएच. के (2010). *''अनुसंधान विधिया''* आगराः भार्गव बुक हाउस
6. कोचर, मोतीचंद (1996,1999), ''राजस्थान पत्रिका'', उदयुपर राजस्थान पत्रिका प्रेस।
7. के. पुष्पनद्यम (1989) पृष्ठ संख्या 203–209 ''ए रिव्यू ऑफ द बेनिफिटस एजुकेशन'', सफलता बुक हाउस अहमदनगर
8. हलदर मिस कृष्णा (2008) ''टू स्टडी दि इफेक्टीवनेस टीचिंग ऑफ मिडिल स्टूडेन्स'' बडोदश : सपना बुक हाउस
9. पाण्डेय, अमरसिंह (फरवरी 1998), ''ट्यूशन में सोचता हूॅ '' (लेख) शिविरा
10. राय, पारसनाथ (1993), ''अनुसंधान परिचय'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार (शिक्षा विभाग) नई दिल्ली
12. चन्द्रशेखर, मंगल (2003) ''ट्यूशन पर रोक केवल कागजो तक सीमित'' राजस्थान पत्रिका।
13. लर्नर जी. एच. (1991) ''क्वालिटी ऑफ मिडिल स्कलिंग इन इंडिया'' विस्डम बुक हाउस जबलपुर